[redacted] **जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** [redacted]

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सी.एडं पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 2239 दि. 19.3.08

आदेश

विषयः शीतलहर एवं पाला प्रभावित कृषि श्रेणी के कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को राहत देने के क्रम में।

राज्य में अभी हाल ही में जनवरी एवं फरवरी 2008 में अत्यधिक शीतलहर एवं पाला पड़ने से फसलो को काफी नुकसान हुआ है। इस स्थिति पर राज्य सरकार ने शीतलहर एवं पाला से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों, जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, के चार माह के बिजली के बिलों की राशि माफ करने के दिशा निर्देश दिये थे। इस संदर्भ में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा आदेश संख्या जो.वि.वि.नि.लि. / अ.प्र.नि. / मु.अ.(सी.एडंपी.) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा/प्रे. 2121 दिनांक 21.02.08 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/427) जारी किया गया है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि पाला प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों पर कृषि उपभोक्ताओं को बकाया चुकाने में वर्तमान में कठिनाई आ रही है एवं कनेक्शन कट जाने से रबी की फसल में नुकसान होगा। उक्त स्थिति पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वित्तिय वर्ष 2007–08 की बकाया वसूली के लिये कनेक्शन काटने की प्रक्रिया को दिनांक 31.03.08 तक स्थगित रखा जाये ताकि फसल को नुकसान नहीं हो एवं किसानों से अपेक्षा की है कि वे अपना बिजली का बिल बकाया सहित अप्रैल माह में जमा करायेगें अन्यथा उन्हें देरी से भुगतान सरचार्ज (Delay Payment Surcharge) भी देना होगा।

इस क्रम में सभी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार के उक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें।

यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम के निदेशक मण्डल के अनुसमर्थन (subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते है।

आज्ञा से

(ए.एम. लोढ़ा)
मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर